न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 124/2019 **दायर दिनांकः 22/08/2019**

उनवान

1. कोशलकिशोर उर्फ गोबरीलाल आयु 64 वर्ष पुत्र सुखलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 04/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा पटवार क्षैत्र ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 60 का ख0न0 75 का रकबा 1.47 है0 तथा खाता संख्या 59 के ख0न0 52 का रकबा 0.11 है0, ख0न0 59 का रकबा 3.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.50 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता हैं तथा खाता संख्या 29 के कुल किता 7 का रकबा 4.86 है0 आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता हैं जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज खाता हैं। सम्पूर्ण आराजी में वादी का नाम कोशलकिशोर के स्थान पर गोबरीलाल आपके कर्मचारीगण ने गलत दर्ज कर दिया वादी का सही नाम कोशलकिशोर हैं। तीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। ग्राम एवं माल छजावा के खाता संख्या 60 में वादी के पिता का सही नाम सुखलाल दर्ज हैं परन्तु ग्राम एवं माल छजावा की खाता संख्या 59 व 29 में वादी के पिता का नाम सुखलाल के स्थान पर रामसुख दर्ज हो रहा हैं इसलिए खाता संख्या 59 व 29 में वादी के पिता का सही नाम सुखलाल दर्ज किया जावें। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम कोशलकिशोर गलत दर्ज किया हैं। उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से कोशलकिशोर के स्थान पर गोबरीलाल नाम दर्ज कर दिया व खाता संख्या 59 व 29 में वादी के पिता का नाम सुखलाल के स्थान पर रामसुख दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का सही नाम सुखलाल हैं। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बराना प्रमाण पत्र, आदि में

कोशलकिशोर नाम दर्ज हैं जो सही हैं। बिना सहायता न्यायालय आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कोशलकिशोर पुत्र सुखलाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी व उसके पिता का नाम उक्त वर्णित आराजियात में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सीसी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात पर गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कोशलकिशोर पुत्र सुखलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 01/07/2019 को वादी द्वारा श्रीमान को नाम शुद्धी का प्रार्थना पत्र देने पर तथा श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम छजावा पटवार क्षैत्र ढ़ोटी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :—

(अ) यह कि वादी को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम छजावा के खाता संख्या 60 का ख0न0 75 का रकबा 1.47 है0 तथा खाता संख्या 59 के ख0न0 52 का रकबा 0.11 है0, ख0न0 59 का रकबा 3.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.50 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता हैं तथा खाता संख्या 29 के कुल किता 7 का रकबा 4.86 है0 आराजी में वादी एवं वादी के पिता का नाम गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कोशलकिशोर पुत्र सुखलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कोशलकिशोर पुत्र सुखलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि बैंक से जवाब लेने के बाद नाम शुद्ध किया जावें।

साक्ष्यवादी के तहत PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये तथा PW_1 पर रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अकिंत बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम छजावा के खाता स0 59 किता 2 रकबा 2.50 है0 खाता सं 60 किता 1 रकबा 1.47 है0 तथा खाता संख्या 29 किता 7 रकबा 4.86 है0 में वादी एवं वादी के पिता का नाम गोबरी लाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कोशल किशोर पुत्र सुखलाल दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पंचायत ग्राम पंचायत बराना में कौशल किशोर पुत्र सुखलाल दर्ज है। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—ः:क्रियात्मक आदेशः:—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छजावा के खाता सं0 59 किता 2 रकबा 2.50 है0 रहन HDFC बारां के खातेदार गोबरी लाल पुत्र सुखलाल के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल व खाता संख्या 60 किता 1 रकबा 1.47 है0 रहन HDFC बारां में गोबरी लाल पुत्र सुखलाल के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल तथा खाता संख्या 29 किता 7 रकबा 4.86 है0 रहन HDFC बैंक बारां में गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 124/2019

उनवान

1. कोशलकिशोर उर्फ गोबरीलाल आयु 64 वर्ष पुत्र सुखलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छजावा के खाता सं0 59 किता 2 रकबा 2.50 है0 रहन HDFC बारां के खातेदार गोबरी लाल पुत्र सुखलाल के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल व खाता संख्या 60 किता 1 रकबा 1.47 है0 रहन HDFC बारां में गोबरी लाल पुत्र सुखलाल के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल तथा खाता संख्या 29 किता 7 रकबा 4.86 है0 रहन HDFC बैंक बारां में गोबरीलाल पुत्र रामसुख के स्थान पर कौशल किशोर पुत्र सुखलाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 13:35:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: